न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 09/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/23

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
जीवा पुत्र दौला वगैरह	रतनलाल पुत्र जवानाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 18.02.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 03.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा खारा के खेत खसरा नंबर 1155 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा नंबर 1795/1156 रकबा 0.77 हैक्टेयर बारानी सोयम, खसरा नंबर 1794/1156 रकबा 0.81 हैक्टेयर बारानी सोयम, खसरा नंबर 1793/1156 रकबा 0.81 हैक्टेयर बारानी सोयम जो पुराने खसरा नंबर 511 रकबा 15 बीघा से नवसृजित खसरा संख्या 1511 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1156 रकबा 2.39 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.43 हैक्टेयर से सृजित हुए है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक आई हुई है जिसकी प्रथम मिसल बंदोबस्त प्रार्थीगण के पिता स्व. दौला पुत्र मदा जाति मेघवाल निवासी खारा के नाम से आई हुई है। प्रार्थीगण अनूसूचित जाति से है व प्रार्थीगण के परिवार की आजिविका का स्रोत उक्त कृषि भूमि से आय मात्र है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण की रहवासी ढ़ाणी बनी हुई है जिसमें प्रार्थीगण सपरिवार रहते आ रहे है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कदीमी पीढ़ियों पुरानी संयुक्त कब्जाकाश्त एवं खातेदारी की आई हुई है। विगत वर्षों में अकाल होने व खेत में केवल वर्षा ऋतु की फसल होने से अप्रार्थीगण मजदूरी पर अधिकतर बाहर गुजरात में रहकर काश्त करते है। वांके मौजा खारा के खसरा नंबर 1155 खसरा नंबर 1795/1156 खसरा नंबर 1794/1156 खसरा नंबर 1793/1156 जुमले रकबा 2.43 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 511 रकबा 15 बीघा से नवसृजित खसरा नंबर 1155, 1156 जुमले [illegible] हैक्टेयर से सृजित हुए है। प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक संयुक्त परिवार, संयुक्त कब्जाकाश्त [illegible] आई हुई है जो मौके पर एक चक है जिसके चारों ओर बाड़ [illegible] है। उक्त आराजी काबिज काश्त है जिस पर प्रार्थीगण सालों साल काश्त करते आ रहे है। [illegible] आराजी पर प्रार्थीगण का पीढ़ियों से लगातार शांतिपूर्वक बैरोक टोक विधिसम्मत कब्जा आया हुआ है। वांके मौजा खारा के खेत खसरा नंबर 1155 खसरा नंबर 1795/1156 खसरा नंबर 1794/1156 खसरा नंबर 1793/1156 जुमले रकबा 2.43 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 511 रकबा 15 बीघा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:37:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

नवसृजित खसरा नंबर 1155, 1156 जुमले रकबा 2.43 हैक्टेयर से सृजित हुए है जो प्रार्थीगण के पुश्तैनी पैतृक का आया होने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में मेडआउट होता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त आया हुआ है यदि प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जो रूपयों पैसों में आंकी नहीं जा सकती है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद के बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावें कि मौजा खारा के खेत खसरा नंबर 1155 खसरा नंबर 1795/1156 खसरा नंबर 1794/1156 खसरा नंबर 1793/1156 जुमले रकबा 2.43 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 511 रकबा 15 बीघा से नवसृजित खसरा नंबर 1155, 1156 जुमले रकबा 2.43 हैक्टेयर से सृजित हुए है जिसमें प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं व न किसी अन्य से दखलंदाजी करावें व मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण 01 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन, मनगंढ़त व गलत आधारों पर आधारित होने से तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं होने तथा विधि विरूद्व होने के कारण कानूनीया पोषणीय नहीं होने से मय कोस्ट खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन, मनगंढ़त व गलत आधारों पर आधारित होने से तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं होने तथा विधि विरूद्व होने के कारण कानूनीया पोषणीय नहीं होने से मय कोस्ट खारिज फरमावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **03.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर